



CIRCULAR

PFRDA/2023/07/SUP-TB/01

Feb 07, 2023

To

All NPS/APY Stake Holders

Subject: A. Reinvestment of Returned & Unsuccessful Transaction amount into the same PRAN B. Ease of reclaiming the amount by Subscriber through MWM

NPS/APY Subscribers permitted to withdraw from their Permanent Retirement Account Number (PRAN) as per the applicable guidelines and the provisions of regulations issued by PFRDA. The amount thus withdrawn is payable as lump sum and utilized as 'Purchase Price' to buy Annuity from the empanelled Annuity Service Provider (ASP) chosen by the Subscriber at the time of exit.

- 2. <u>Amount withdrawn but unclaimed</u>: There are instances wherein the corpus of Subscribers, which could not be credited to their Savings Bank (SB) Account because of incorrect bank account details. There are also scenarios where the Subscribers cancel the Annuity under 'free look period' and the purchase price meant for Annuity returned to lie in NPS system till the selection of new ASP by the Subscriber. These amounts identified as 'withdrawn but unclaimed' which do not earn any investment returns to the benefit of Subscribers.
- 3. <u>Reclaim the Amount</u>: The Subscribers can reclaim the amount as per format attached (Annexure) that can be submitted to the nodal officers, Points of Presence (POP), APY Service Providers, CRAs and NPS Trust (NPST) as the case may be. The corpus meant for the e NPS Subscribers that emanate due to unsuccessful transactions because of wrong bank account number claimed from NPST.
- 4. <u>MY WITHDRAWAL MODULE (MWM)</u>: PFRDA through its Central Record Keeping Agencies (CRAs) is in the process of building a Subscribers' digital interface "MY WITHDRAWAL MODULE (MWM)" to ease the process of reclaiming such amount, which shall have the following enablement,
 - a. Provision to submit the beneficiary bank account details and verify the same through penny drop for name matching between PRAN and Bank Acct
 - b. Provision to upload the proof of Bank Acct
 - c. The option to choose ASP for reissue of Annuity as per the choice of Subscriber.



- 5. <u>Ensure correctness of Bank Acct number</u>: The stakeholders need to ensure while processing withdrawal request of the associated Subscribers that the Bank acct/IFSC code are correct to ensure timely payment of corpus. In case of APY, the Service Provider Banks/ Dept of Posts/BCs need to ensure the corresponding Bank Acct of the Subscribers are in the *operative status* until the closure proceeds of APY credited.
- 6. <u>Reinvestment in PRAN</u>: Post building the MWM, the amount which *lie beyond one month* without transferring to the beneficiary's Bank Acct shall be *reinvested in the same PRAN* as per the choice of investment/PF prevailed at the time of exit, to benefit the Subscribers with 'market linked returns'. However, those PRANs frozen for any further transaction except for payment towards lump sum or to buy Annuity.

CRAs can build the MWM for the benefit of Subscribers and popularize the facility to ease the process of reclaiming the amount.

Chief General Manager





परिपत्र

पीएफआरडीए/2023/07/एसयूपी-टीबी/01

07 फरवरी 2023

प्रति, सभी एनपीएस / एपीवाई हितधारक

विषय : क. लौटाई गयी और असफल लेन-देन राशि का उसी PRAN में पुनर्निवेश ख. MWM के माध्यम से राशि हेतु पुनः दावा करने में सरलता

पीएफआरडीए द्वारा जारी विनियमों के प्रावधानों और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस / एपीवाई अभिदाताओं को अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाते (PRAN) से निकासी की अनुमित दी गयी है। निकासी के दौरान निकाली गई राशि एकमुश्त रूप में देय है और यह अभिदाता द्वारा चुने गए सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) से वार्षिकी खरीदने के लिए 'क्रय मूल्य' के रूप में उपयोग की जाती है।

- 2. <u>आहरित किन्तु बिना दावे की राशि</u>: अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें बैंक खाते के गलत विवरण के कारण अभिदाताओं का धन उनके बचत बैंक (एसबी) खाते में जमा नहीं किया जा सका। ऐसी भी घटनाएं हैं जहां अभिदाता 'फ्री लुक पीरियड' के तहत वार्षिकी रद्द कर देते हैं। फलस्वरूप वार्षिकी के लिए निर्धारित क्रय मूल्य लौटा दिया जाता है और वह अभिदाता द्वारा नए एएसपी के चयन तक एनपीएस प्रणाली में पड़ा रहता है। ऐसी राशियों को 'आहरित किन्तु बिना दावे की राशि' के रूप में रखा जाता है जो अभिदाताओं के लाभ के लिए कोई निवेश रिटर्न अर्जित नहीं करती हैं।
- 3. **राशि हेतु पुनः दावा :** अभिदाता, अनुलग्नक में दिए गए प्रारूप में राशि के लिए पुनःदावा कर सकते हैं जिसे मामले के अनुसार नोडल अधिकारियों, उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपी), एपीवाई सेवा प्रदाताओं, सीआरए और एनपीएसटी में जमा किया जा सकता है। गलत बैंक खाता संख्या की वजह से असफल लेनदेन होने के कारण ई-एनपीएस अभिदाताओं का जो धन निर्गत हो गया हो, वह एनपीएसटी से दावा किया जा सकता है।
- 4. <u>माई विदड्रॉल मॉड्यूल (एमडब्ल्यूएम)</u> : ऐसी राशि पर पुनः दावा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पीएफआरडीए में केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (सीआरए) के माध्यम से एक अभिदाता डिजिटल इंटरफेस 'माई विदड्रॉल मॉड्यूल (एमडब्ल्यूएम)' के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इसमें निम्नलिखित सक्षमताएँ होंगी :



क. लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण जमा करने तथा नाम मिलान हेतु PRAN और बैंक खाता के बीच पेनी ड्रॉप के माध्यम से इसे सत्यापित करने का प्रावधान ख. बैंक खाते के प्रमाण को अपलोड करने का प्रावधान ग. अभिदाता की पसंद के अनुसार वार्षिकी को पुन: जारी करने हेतु एएसपी चुनने का विकल्प

- 5. <u>बैंक खाता संख्या की सत्यता सुनिश्चित करना</u>: सम्बन्धित अभिदाताओं के निकासी अनुरोध को संसाधित करते समय धन का समय पर भुगतान करने के लिए हितधारकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि बैंक खाता/आईएफएससी कोड सही हों। एपीवाई के मामले में, सेवा प्रदाता बैंकों/डाक विभाग/बीसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि एपीवाई आकलन के समाप्त होने तक अभिदाताओं के संबंधित बैंक खाते परिचालन की स्थिति में हों।
- 6. <u>PRAN में पु</u>नर्निवेश: एमडब्ल्यूएम के निर्माण के बाद, ऐसी राशि को जो लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतिरत हुए बिना एक महीने से अधिक समय तक पड़ी रहेगी उसे निकास के समय चयनित निवेश/पीएफ विकल्प के अनुसार उसी PRAN में निवेश किया जाएगा, ताकि अभिदाताओं को 'मार्केट लिंक्ड रिटर्न' से लाभान्वित किया जा सके। हालांकि, उस PRAN को एक मुश्त भुगतान या वार्षिकी क्रय करने के अलावा अन्य किसी भी लेनदेन के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा ।

अभिदाताओं के लाभ हेतु और राशि पर पुनः दावा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सीआरए द्वारा एमडब्ल्यूएम का निर्माण और प्रचार-प्रसार किया जा सकता है।

मुख्य महाप्रबंधक

Application to Reclaim failed transactions of NPS & APY /Reissuance of Annuity

To,
Nodal Office/PoP/APY-SP/CRA/NPST

Name of the Subscriber:
Name of Father/Spouse:
PRAN(Attach Copy of PRAN or Statement of transaction): Amount:
Sector NPS APY (✓ Tick applicable)
Type of Amount: A. Lump sum B. Annuity (✓ Tick applicable)
A. If you wish to reclaim the lump sum amount, please provide the following details for re-transfer of eligible amount.
Bank Account No.
Name of the Bank & Branch:
IFSC CODE:
(Attach Copy of Cancelled Cheque/Passbook/ Bank Proof containing subscriber's name)
B. If you have cancelled your Annuity, please provide the following details for re-issuance of Annuity-
Name of ASP (Annuity Service Provider): Type of Annual Scheme: Single Life
Declaration of Subscriber
I (full name)
Date: Signature of Subscriber Place:
Authorization
I Verified and authorized for processing the application by Central Recordkeeping Agency(CRA)
Seal: Signature of Authorizing Officer Date: